

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(मुरारी लाल शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-

86 / 2014

प्रविष्टि दिनांक:-

10.12.2014

- 1-अंकित पुत्र सत्येन्द्र ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2-सत्येन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण निवासी पेट्रोल पंप मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

- 1-दुर्गासहाय पुत्र प्रभूलाल माली निवासी 131-ए महेश नगर टोक फाटक जयपुर हाल कैयर ऑफ रामकिशन सैनी ग्राम पोस्ट मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2-ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

..... रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय ग्राम सभा मोर दिनांक 14.10.2014

उपस्थित: (1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

निर्णय

दिनांक 27.08.2021

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने रेस्पोंडेण्ड सं. 1 की ओर से रास्ता अवरुद्ध को पूर्ववत खुलवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 के आधार पर ग्राम सभा आयोजित कर अपीलाण्ट्स के खेतों में बनी ईंटों की पक्की दीवार को तोड़कर रास्ता चालू किये जाने का निर्णय पारित किया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने निर्णय से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया है। ग्राम पंचायत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर को किसी तरह का रास्ता अवरुद्ध का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन है। सरपंच द्वारा पारित निर्णय सेल्फ स्पीकिंग नहीं है। निर्णय में भूमि के खसरा नम्बरान व रास्ता किस नम्बर में है तथा कहां तक जाता है स्पष्ट विवरण नहीं है।



1088



अपीलांटस की खातेदारी के खेत के मध्य होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जबरन रास्ता बनाकर खेतों को नष्ट करना चाहते हैं एवं ग्राम पंचायत मोर के सरपंच तथा कुछ व्यक्तियों से मिलकर अपीलान्टस को बिना सुने ग्राम सभा में अपीलान्टस के विरुद्ध उसके खेतों के मध्य होकर रास्ता दिये जाने का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी के कोई खेत विद्यमान नहीं है, इस कारण उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था फिर भी ग्राम सभा ने दुर्भावनावश अपीलान्टस को नुकसान पहुंचाने की गरज से उनके विरुद्ध निर्णय दिया है जो ग्राम सभा के सदस्यों व ग्राम पंचायत के सरपंच की दुर्भावना को प्रकट करता है। नक्शा शीट में भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा जो दीवार बतायी गई है, वहां से होते हुए रास्ता नहीं रहा है, इस कारण सुखाधिकार का मामला प्रमाणित नहीं होते हुए भी ग्राम सभा ने अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि में स्थित दीवार को तोड़ने का आदेश देकर जबरन नया रास्ता देने का निर्णय देकर महती भूल की है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा ग्राम सभा में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2014 से अपीलान्टस व्यथित होकर उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टस के सूचना के उपरान्त अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट पर अभिभाषक अपीलान्टस की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्टस की अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने रेस्पोडेण्ड सं. 1 की ओर से रास्ता अवरुद्ध को पूर्ववत् खुलवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 के आधार पर ग्राम सभा आयोजित कर अपीलान्टस के खेतों में बनी ईंटों की पक्की दीवार को तोड़कर रास्ता चालू किये जाने का निर्णय पारित किया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर द्वारा ग्राम सभा में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2014 विधिविधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने निर्णय से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया है। ग्राम पंचायत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर को किसी तरह का रास्ता अवरुद्ध का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन है। सरपंच द्वारा पारित निर्णय सेल्फ स्पीकिंग नहीं है। निर्णय में भूमि के खसरा नम्बरान व रास्ता किस नम्बर में है तथा कहां तक जाता है स्पष्ट विवरण नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सदैव से ही खसरा नम्बर 28/2853 व खसरा नम्बर 29 के मध्य मेड पर विद्यमान रास्ते से होकर खसरा नम्बर 26 व 31 में जाता है जो रास्ता आज भी विद्यमान है जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अलावा अन्य खातेदार, काश्तकार भी उपयोग



1089

10
 जवाहरलाल नेहरू
 जिला कलेक्टर
 जयपुर

व उपभोग में ले रहे हैं। गत भू-प्रबंध के समय जो शीट बनायी गई थी उसमें भी अपीलान्ट संख्या 1 की खातेदारी के खेतों के मध्य होकर कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जब भू-प्रबंध हुआ तो उस समय अपीलान्ट के खातेदारी के खेतों के मध्य होता हुआ कोई रास्ता नहीं था और ना है तथा इस बाबत भू-प्रबंध के दौरान रास्ते के बाबत उज्जदारी रेस्पोजेण्ट संख्या 1 द्वारा इसलिए नहीं की गई थी कि मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा अपीलान्ट्स द्वारा उपरोक्त बताया गया रास्ता शुरू से विद्यमान है जो आज भी चालू है। अपीलान्ट्स की खातेदारी के खेत के मध्य होकर रेस्पोजेण्ट संख्या 1 जबरन रास्ता बनाकर खेतों को नष्ट करना चाहते हैं एवं ग्राम पंचायत मोर के सरपंच तथा कुछ व्यक्तियों से मिलकर अपीलान्ट्स को बिना सुने ग्राम सभा में अपीलान्ट्स के विरुद्ध उसके खेतों के मध्य होकर रास्ता दिये जाने का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। रेस्पोजेण्ट संख्या 1 की खातेदारी के कोई खेत विद्यमान नहीं है, इस कारण उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था फिर भी ग्राम सभा ने दुर्भावनावश अपीलान्ट्स को नुकसान पहुंचाने की गरज से उनके विरुद्ध निर्णय दिया है जो ग्राम सभा के सदस्यों व ग्राम पंचायत के सरपंच की दुर्भावना को प्रकट करता है।

ग्राम सभा में विकास अधिकारी व अन्य सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं थे जिस कारण ऐसी ग्राम सभा को कानूनन ग्राम सभा नहीं कहा जा सकता है। रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ने ऐसा कोई प्रमाण ग्राम सभा में पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होवे कि जो रास्ता ग्राम सभा दिलवा रही है वह भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के पूर्व से लगातार 20 वर्षों से रास्ते के रूप में काम आ रही हो। नक्शा शीट में भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा जो दीवार बतायी गई है, वहां से होते हुए रास्ता नहीं रहा है, इस कारण सुखाधिकार का मामला प्रमाणित नहीं होते हुए भी ग्राम सभा ने अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि में स्थित दीवार को तोड़ने का आदेश देकर जबरन नया रास्ता देने का निर्णय देकर गहरी भूल की है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत मोर द्वारा ग्राम सभा में पारित निर्णय दोषपूर्ण एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। सरपंच ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा रास्ते में बनी पक्की दीवार तोड़ने एवं रास्ता पुनःचालू करवाने का आदेश दिनांक 14.10.2014 को पारित किया गया है।

सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने रेस्पोजेण्ट सं. 1 की ओर से रास्ता अवरुद्ध को पूर्ववत खुलवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 पर रास्ते में बनी पक्की दीवार को तोड़ने एवं रास्ता पुनःचालू करवाने का आदेश पारित किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है।

सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि रेस्पोजेण्ट्स को दिनांक 20.09.2014, दिनांक 25.09.2014 व दिनांक 02.10.2014 को नोटिस जारी करने के



1090

दावारकट विभा ६७२६
दोष

उपरान्त भी रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा रास्ते का अवरोध नहीं हटाया है और ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय ग्राम पंचायत मोर मे उपस्थित हुये है।

पत्रावली मे अपीलान्ट्स को नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है,परन्तु नोटिस की प्रति पत्रावली मे संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट को जारी नोटिस पर तामिल भी हुई या नहीं। अभिभाषक अपीलान्ट्स ने भी अपीलान्ट की सुनवाई नहीं करने बाबत अपील मीमो मे आपत्ति की है। उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स की सुनवाई नहीं की है। पक्षकारो को सुनवाई तथा साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर प्रदान करना न्याय का प्रथम सिद्धान्त है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार किसी भी पक्ष को सुनवाई का असवर दिये बिना उसके विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2014 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना इसी बिन्दू पर उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2014 को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 20.09.2021 को ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह के समक्ष समय 10.00 ए.एम.पर उपस्थित हो। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



27.8.21
(सुनील कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)